भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 669

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

बांग्लादेश-त्रिपुरा और बांग्लादेश-मिज़ोरम सीमा पर बाड़ लगाया जाना

669. श्री रोनाल्ड सपा लाउ:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश-त्रिपुरा और बांग्लादेश-मिज़ोरम से लगने वाली कुल कितने किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है;

(ख) बांग्लादेश-त्रिपुरा और बांग्लादेश-मिज़ोरम से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने किलोमीटर तक बाड़ लगाई जानी है; इसे कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और आज की स्थिति के अनुसार कितना प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि मिज़ोरम में भारतीय सीमा का एक बड़ा भू-भाग बाड़ से बाहर छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मिज़ोरम के इतने बड़े भू-खण्ड को खोने पर सरकार को आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री किरेन रिजिजू**)

(क): बांग्लादेश-त्रिपुरा और बांग्लादेश-मिज़ारम सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लम्बाई क्रमश: 856 कि.मी. और 318 कि.मी. है।

(ख): बांग्लादेश-त्रिपुरा सीमा पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ की कुल लम्बाई 834.51 की.मी. है, जिसमें से लगभग 94 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश-मिज़ोरम सीमा पर 344.41 कि.मी. बाड़ की मंजूरी दी गई है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

बाड़ परियोजना का कार्य मार्च, 2014 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। तथापि, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, वन/वन्य जीव अनापत्ति में विलम्ब, 150 गजे के भीतर बाड़ लगाने के लिए बांग्लादेश प्राधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता दुर्गम क्षेत्र, प्रतिकूल जलवायू परिस्थितियां, स्थल तक पहुंच नहीं पाने आदि के कारण इन कार्यों में समय लग गया।

(ग) और (घ): भारत-बांग्लादेश सीमा दिशानिर्देश (आईबीबी) 1975 के अनुसार, आमतौर पर बाड़ सीमा से 150 गज की दूरी पर लगाई जाती है। तथापि, आईबीबी के 150 गज के भीतर लोगों की मौजूदगी तथा स्थलाकृति संबंधी बाधाओं के कारण कभी-कभी बांग्लादेश प्राधिकारियों की सहमति से 150 गज के भीतर बाड़ लगाना आवश्यक हो जाता है। बाड़ में दरवाजे (गेट) पर्याप्त दूरी पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार, बाड़ लगाने के कारण भूमि की कोई क्षति नहीं हुई है।

*****